

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(अनुभाग-5)

एफ 8(1)ग्राविवि/जीकेएन/2007 जयपुर

दिनांक 17 जनवरी, 2013


जिला कलेक्टर समस्त,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :- पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची एवं जिला दर नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित दरों के संबंध में।

संदर्भ :- विभागीय परिपत्र एफ-8(1)ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/2010 जयपुर दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन 15 जनवरी, 2013 तथा जिला दर नियंत्रण समिति द्वारा दरों के अनुमोदन बाबत 31 जनवरी, 2013 समयसीमा निर्धारित की गई थी। आपके अधीन पंचायत समितियों एवं जिला स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में भिजवाने का कष्ट करें। समयबद्ध कार्य सम्पादन नहीं होने के कारण एवं उत्तरदायी अधिकारी/अभियन्ता का विवरण भी उपलब्ध करावें।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
(K.T.O.)

प्रतिलिपि :-

1. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद समस्त।
2. अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी/ ई.जी.एस.), जिला परिषद समस्त।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)

दर अनुसूची वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रगति का विवरण :-

जिला :-

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करने की दिनांक	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन की दिनांक	यदि क्रम संख्या 2 व 3 की कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में विलम्ब का कारण	विलम्ब के लिए उत्तरदायी विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता का नाम व पद

अधिशाषी अभियन्ता
जिला परिषद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद.....